



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 66/2018

**पीठासीन अधिकारी:- श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

1. सत्यमेव जयते  
सत्यमेव जयते पुत्र भूरालाल

2. सधाकिशन पुत्र भूरालाल
3. श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल
4. किस्तूरा पुत्र मांगीलाल
5. हीरालाल पुत्र मांगीलाल
6. रामी देवी पत्नि छोटूलाल
7. जसवन्तकुमार पुत्र छोटूलाल
8. सरोजकुमारी पुत्री छोटूलाल

समस्त जाति नायक निवासीगण काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादीगण

**बनाम**

1. बन्ना पुत्र गोकल
2. रामा पुत्र गोकल

समस्त जाति नायक निवासीगण काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
निर्णय**

**दिनांक:-02.06.2018**

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त की भूमि वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072-75 के खाता नम्बर 232 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1593/2213, 1595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है। भूमि मांगीलाल वल्द धूला के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं वादीगण ही वादवर्णित आराजीयात पर काश्त कर पेदावार प्राप्त करते आ रहे है तथा वादीगण ही मांगीलाल के विधिक वारिसान है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा आदि नही है परंतु वे अकारण ही वादीगण से रंजिश रखने के कारण वादीगण की हक, हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को हडपने की बदमंशा रखते है। प्रतिवादीगण ने वादवर्णित आराजीयात की सीमा को हांक जोत कर नष्ट कर दिया है जिससे सीमाएं असपष्ट हो गई है जिसके कारण मौके पर विवाद की आशंका पैदा हो गई है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद वास्ते पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई जहां वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित।

हमने वादीगण के वाद का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सुना। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात होने से वादीगण का प्राईमाफेसाई केस होना पया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता हे।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072-75 के खाता नम्बर 232 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1593/2213, 1595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है। भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी